



भारतसरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्वविभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्षकर एवं सीमाशुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमाशुल्क आयुक्त कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विलिंग्डन आईलैंड, कोचीन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009



Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: cochincustoms@nic.in

Control Room: 0484-2666422
Fax : 0484-2668468

DIN-20241058MB0000888D12

सार्वजनिक सूचना संख्या PUBLIC NOTICE NO. 12/2024

विषय: वेयरहाउस लाइसेंस प्राप्त करने, वेयरहाउस में रखे गए सामानों के बॉन्ड टू बॉन्ड आवाजाही तथा मासिक विवरणी अपलोड करने से संबंधित सीमा शुल्क बॉन्डेड वेयरहाउस प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण - के संबंध में।

आयातकों, निर्यातकों, सीमा शुल्क ब्रोकर्स, वेयरहाउस लाइसेंस धारकों, व्यापार के सदस्यों और अन्य सभी हितधारकों का ध्यान उपर्युक्त विषय पर सीबीआईसी परिपत्र संख्या 19/2024 दिनांक 30.09.2024 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

सीमा शुल्क बांडेड वेयरहाउस के संबंध में व्यापार करने में सुगमता के लिए, सीबीआईसी ने आइसगेट पर एक वेयरहाउस मॉड्यूल प्रारंभ किया है, जिससे निम्नलिखित सक्षम हो सकें-

- वेयरहाउस लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन की ऑनलाइन फाइलिंग;
- वेयरहाउस में रखे गए सामान को किसी अन्य व्यक्ति और/या किसी अन्य वेयरहाउस में स्थानांतरित करने के अनुरोधों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना और संसाधित करना;
- सीमा शुल्क बांडेड वेयरहाउस के लिए मासिक विवरणी अपलोड करना।

2. सिस्टम महानिदेशालय (डीजी सिस्टम्स) ने व्यापार के सदस्यों के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु विस्तृत उपयोगकर्ता मैनुअल जारी किए हैं, जिन्हें क्रमशः <https://www.icegate.gov.in/guidelines/warehouselicensing>, <https://www.icegate.gov.in/guidelines/warehousewarehouse-transfer> और https://www.icegate.gov.in/guidelines/warehouse-monthly_returns पर देखा जा सकता है। सक्षम प्रक्रियाओं का अवलोकन निम्नलिखित पैराग्राफ में समझाया गया है।

2.1. वेयरहाउस लाइसेंसिंग प्रक्रिया:

सार्वजनिक वेयरहाउस लाइसेंसिंग विनियम, 2016, निजी वेयरहाउस लाइसेंसिंग विनियम, 2016 और विशेष वेयरहाउस लाइसेंसिंग विनियम, 2016 का संदर्भ लें, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 57, 58 और 58ए के तहत क्रमशः सार्वजनिक, निजी और विशेष वेयरहाउस के लाइसेंसिंग का प्रावधान करते हैं। दिनांक 09.06.2016 के संशोधित परिपत्र 26/2016-सीमा शुल्क में सीमा शुल्क बांडेड वेयरहाउस के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र निर्धारित किया गया है।

2.1.1. इस प्रक्रिया को अब डिजिटल कर दिया गया है, जिसमें आवेदक का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आईसगेट पोर्टल पर लॉग इन कर सकता है और साथ ही ऑनलाइन रूप से दस्तावेजों सहित आवेदन जमा कर सकता है। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, यह आवेदक द्वारा दायर किए गए सीमा शुल्क क्षेत्राधिकार से जुड़े उचित अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाएगा। फिर आवेदन को बैक-एंड में सीमा शुल्क द्वारा संसाधित किया जाएगा।

2.1.2. इस ऑनलाइन आवेदन पर उचित अधिकारी द्वारा कोई भी प्रश्न उठाने की कार्यक्षमता भी मॉड्यूल में बनाई गई है। इसके अलावा, आवेदक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मॉड्यूल पर ही अधिकारी से प्राप्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। लाइसेंस के लिए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय बैक-एंड पर संसाधित किया जाएगा। लाइसेंस के लिए आवेदन स्वीकार किए जाने के बाद, अधिकारी ऑनलाइन वेयरहाउस कोड जनरेट कर सकता है, और लाइसेंस आवेदक को भेज दिया जाएगा।

2.1.3. इस आयुक्तालय का पोर्ट कोड "INCOK1" है। आवेदक सीमा शुल्क, कोचिन के अधिकार क्षेत्र के तहत वेयरहाउस लाइसेंस के लिए आवेदन में पोर्ट कोड "INCOK1" भरेंगे। एक बार जब इस आयुक्तालय द्वारा निर्दिष्ट पोर्ट कोड का उपयोग करके लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन दायर किया जाता है, तो आवेदन इस पोर्ट के अधिकारी के पास चला जाएगा, जिसकी भूमिका ऊपर बताई गई है।

2.1.4. वेयरहाउस लाइसेंसिंग मॉड्यूल के बारे में अधिक जानकारी के लिए, उपयोगकर्ताओं को <https://www.icegate.gov.in/guidelines/warehouse-licensing> पर उपलब्ध उपयोगकर्ता मैनुअल को देखने की सलाह दी जाती है।

2.2. वेयरहाउसमें रखे माल का किसी अन्य व्यक्ति और/या किसी अन्य वेयरहाउसमें स्थानांतरण:

मोटे तौर पर, वेयरहाउस मॉड्यूल निम्नलिखित तीन परिदृश्यों के लिए ऑनलाइन अनुरोध दाखिल करने और उसके प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है -

मामला 1: वेयरहाउस में परिवर्तन के बिना स्वामित्व में परिवर्तन;

मामला 2: स्वामित्व में परिवर्तन के बिना वेयरहाउस में परिवर्तन, और

मामला 3: वेयरहाउस में परिवर्तन के साथ-साथ माल का स्वामित्व भी।

डिज़ाइन किया गया वर्कफ़्लो विक्रेता और खरीदार के प्रासंगिक विवरणों को रिकॉर्ड करने, हस्तांतरण के तहत माल की मात्रा और मूल्य का सत्यापन और समाधान, खरीदार द्वारा वेयरहाउसिंग (ट्रिपल ड्यूटी) बॉन्ड प्रस्तुत करने, उचित अधिकारी द्वारा अनुरोध की स्वीकृति आदि से संबंधित पहलुओं का ध्यान रखता है। इनमें से प्रत्येक परिदृश्य में विस्तृत चरण-दर-चरण वर्कफ़्लो अनुलग्नक-ए में संलग्न है।

2.2.1. एक बार चालू होने के बाद, मॉड्यूल किसी भी सामग्री को ट्रैक करेगा और उसका रिकॉर्ड रखेगा, जिसमें विभिन्न गोदामों और/या मालिकों को क्रमिक हस्तांतरण के माध्यम से उसका वर्तमान स्थान और स्वामित्व विवरण शामिल है। यह वेयरहाउस में आने और जाने वाले माल की सटीक रूप से निगरानी भी करेगा, जिससे मासिक विवरणी दाखिल करने और संसाधित करने में सुविधा होगी।

2.2.2. वेयरहाउस गुड्स (रिमूवल) विनियम, 2016 के विनियमन 3 में एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में माल के हस्तांतरण के लिए एक भौतिक फॉर्म निर्धारित किया गया है। फॉर्म में अन्य बातों के साथ-साथ मूल वेयरहाउस से माल के भौतिक प्रेषण की रिकॉर्डिंग और गंतव्य वेयरहाउस में माल की भौतिक प्राप्ति की रिकॉर्डिंग का प्रावधान है। उक्त रिकॉर्डिंग पर लाइसेंसधारी या बांड अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता होती है, जैसा भी मामला हो। जबकि ICEGATE पर मॉड्यूल ICES डेटाबेस में सभी प्रासंगिक लेनदेन विवरणों को कैप्चर करेगा, उपर्युक्त भौतिक फॉर्म का उपयोग माल की भौतिक आवाजाही की निगरानी और बंद करने के लिए भी किया जाएगा। उक्त भौतिक फॉर्म को नियत समय में मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया जाएगा। तब तक यह लागू रहेगा और इसे मॉड्यूल द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन तरीके के अतिरिक्त मैन्युअल रूप से भी भरना होगा।

2.3. मासिक विवरणी:

वेयरहाउस (माल की अभिरक्षा और हैंडलिंग) विनियम, 2016 के विनियम 11 के अनुसार लाइसेंसधारक को मासिक विवरणी दाखिल करना आवश्यक है। बोर्ड ने दिनांक 08.06.2016 के परिपत्र संख्या 25/2016-सीमा शुल्क के अनुसार, दिनांक 21.02.2023 के परिपत्र संख्या 04/2023-सीमा शुल्क द्वारा संशोधित, लाइसेंसधारकों द्वारा फॉर्म ए और फॉर्म बी के अनुसार दो मासिक विवरणी दाखिल करने का प्रावधान किया है:

- i. फॉर्म-ए: महीने में माल की प्राप्ति, भंडारण, संचालन और निष्कासन की जानकारी के साथ विवरणी।
- ii. फॉर्म-बी: वेयरहाउस में रखे गए माल की जानकारी के साथ विवरणी, जिसके लिए निर्दिष्ट वेयरहाउसिंग अवधि महीने में समाप्त हो रही है।

2.3.1. वेयरहाउस मॉड्यूल इन मासिक विवरणी की स्कैन की गई प्रतियों (पीडीएफ प्रारूप में) को ICEGATE पर अपलोड करने में सक्षम करेगा। साथ ही, संबंधित अधिकारी इन स्कैन किए गए दस्तावेजों को डाउनलोड कर सकेंगे, ताकि वे अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कर सकें। वेयरहाउसमालिक/अधिकृत प्रतिनिधियों को अपने मासिक विवरणी में सावधानीपूर्वक विवरण दाखिल करना चाहिए, ताकि वेयरहाउस में रखे माल का उचित मिलान किया जा सके।

2.3.2. वेब फॉर्म का उपयोग करके इन मासिक विवरणी को दाखिल करने की सुविधा चरण 2 में ICEGATE पर उपलब्ध कराई जाएगी।

2.4. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 59(3) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें वेयरहाउस बांड के निष्पादन के अलावा, निर्धारित की गई सिक्योरिटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, संशोधित परिपत्र 21/2016-सीमा शुल्क दिनांक 31.05.2016 के तहत सिक्योरिटी की आवश्यकता निर्धारित की गई है। उक्त परिपत्र के पैरा 5 में यह अनिवार्य किया गया है कि आयातक या माल के मालिक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सुरक्षा आयात बंदरगाह पर प्रस्तुत की जाएगी, जहां वेयरहाउस के लिए बिल ऑफ एंट्री दाखिल किया गया था। तदनुसार, यह दोहराया जाता है कि आयात बंदरगाह पर उचित अधिकारी को दिनांक 31.05.2016 के परिपत्र 21/2016-सीमा शुल्क (संशोधित) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 59 के अनुसार ट्रिपल ड्यूटी बांड और सिक्योरिटी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए।

3. वेयरहाउस मॉड्यूल के उपयोगकर्ताओं अर्थात व्यापार और अन्य सभी हितधारकों से अनुरोध है कि, वे इस संबंध में जारी किए गए उपयोगकर्ता मैनुअल को ध्यान से पढ़ें ताकि वे आवश्यक चरणों से परिचित हो सकें। उपयोगकर्ता मैनुअल एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है जो मॉड्यूल इंटरफ़ेस के स्क्रीनशॉट/चित्रों की सहायता से सभी चरणों को समझने के आसान तरीके को दर्शाता है। इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं के विभिन्न चरणों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को सहायता प्रदान करना है।

3.1. आवेदक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/लाइसेंसधारक जिन्हें वेयरहाउस मॉड्यूल प्राप्त करने या उपयोग करने में कोई कठिनाई आ रही है, वे उचित निवारण के लिए icegatehelpdesk@icegate.gov.in पर अपनी शिकायत ईमेल कर सकते हैं।

हस्ता/-

गुरकरण सिंह बैस Gurkaran Singh Bains
(सीमा शुल्क आयुक्त Commissioner of Customs)

अनुलग्नक: अनुलग्नक-ए (संलग्न)

प्रतिलिपि:

- I. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र का कार्यालय
- II. कोचिन सीमा शुल्क, कोचिन-09 के सभी अपर आयु./संयु. आयु./उप. आयु./सहा. आयु.
- III. ईडीआई अनुभाग, सीमा शुल्क, कोचिन-09
- IV. कोचिन सीमा शुल्क ब्रोकर असोसिएशन



भारतसरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्वविभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीयअप्रत्यक्षकरएवं सीमाशुल्कबोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमाशुल्क आयुक्तकार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्कगृह, विलिंगडनआईलैंड, कोचीन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009



Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: cochincustoms@nic.in

Control Room: 0484-2666422
Fax : 0484-2668468

DIN-20241058MB0000888D12

PUBLIC NOTICE NO.12/2024

Subject: Digitization of Customs Bonded Warehouse procedures relating to obtaining Warehouse License, Bond to Bond Movement of Warehoused goods, and uploading of Monthly Returns – reg.

Kind attention of Importers, Exporters, Customs Brokers, Warehouse License holders, members of trade and all other stakeholders are invited to the CBIC Circular No.19/2024 dated 30.09.2024 on the above mentioned subject.

To facilitate ease of doing business in respect of the Customs Bonded Warehouses, CBIC has introduced a Warehouse Module on ICEGATE to enable-

- online filing of application for obtaining a Warehouse License;
- online submission and processing of requests for transfer of warehoused goods to another person and/or another warehouse;
- uploading Monthly returns for the Customs Bonded Warehouse.

2. The Directorate General of Systems (DG Systems) has issued detailed User Manuals for providing necessary guidance to the members of the trade as well as the Departmental officers, that can be accessed on <https://www.icegate.gov.in/guidelines/warehouselicensing>, <https://www.icegate.gov.in/guidelines/warehousewarehouse-transfer> and https://www.icegate.gov.in/guidelines/warehouse-monthly_returns respectively. An overview of the processes enabled is explained in following paragraphs.

2.1. Warehouse Licensing Procedure:

Reference is invited to the Public Warehouse Licensing Regulations, 2016, the Private Warehouse Licensing Regulations, 2016 and the Special Warehouse Licensing Regulations, 2016 that provide for licensing of Public, Private and Special Warehouses under Section 57, 58 and 58A of the Customs Act, 1962, respectively. The Circular 26/2016-Customs dated 09.06.2016, as amended, prescribes an application Form for obtaining a license for a Customs Bonded Warehouse.

2.1.1. This process has now been digitized wherein the authorised signatory of an applicant can log in to the ICEGATE portal and submit the application online along with accompanying documents. The application once submitted would be received by the proper officer linked to the Customs jurisdiction filed by the applicant. The application will then be processed by Customs in the back-end.

2.1.2. A functionality for raising any query by the proper officer on this online application has also been built in the module. Further, the applicant/authorised signatory can respond to such queries received from the officer on the module itself. The final decision to accept or reject the application for licensing shall be processed at the back-end. Once the application for license is accepted, the officer can generate a warehouse code online, and the license would be forwarded to the applicant.

2.1.3. This Commissionerate has Port Code "INCOK1". The applicants will fill in the port code "INCOK1" in the application for Warehouse licenses under the jurisdiction of Custom House, Cochin. Once an application for obtaining a license is filed using the port code specified by this Commissionerate, the application would move to the officer of this port having the role created referred above.

2.1.4. For further details of the Warehouse licensing module, the users are advised to refer the User Manual available at <https://www.icegate.gov.in/guidelines/warehouse-licensing>.

2.2. Transfer of Warehoused Goods to another person and/or another warehouse:

Broadly, the Warehouse Module caters to online filing of request and its processing for the following three scenarios -

- Case 1: Change in ownership without change in the Warehouse;
- Case 2: Change in Warehouse with no change in ownership, and
- Case 3: Change in the Warehouse as well as ownership of goods.

The designed workflow takes care of aspects related to recording relevant particulars of Seller and Buyer, validation and reconciliation of quantity and value of goods under transfer, furnishing warehousing (triple duty) bond by the buyer, acceptance of request by the proper officer etc. Detailed step-by-step workflow in each of these scenarios is enclosed at Annex-A.

2.2.1. Once operational, the module will track and keep record of any material imported under an Into-Bond Bill of Entry, including its current location and ownership details through the successive transfers to different warehouses and/or owners. It will also monitor goods flowing into and out of a warehouse in precise terms, thus facilitating filing and processing of monthly returns.

2.2.2. Regulation 3 of the Warehouse Goods (Removal) Regulations, 2016 prescribes a physical Form for transfer of goods from one warehouse to another warehouse. The Form provides for inter alia recording of physical dispatch of goods from the originating warehouse and recording of physical receipt of goods at the destination warehouse. The said recordings are required to be signed by the licensee or the bond officer, as the case may be. While the module on ICEGATE will capture all relevant transaction details in the ICES database, the aforesaid physical Form will also be used to monitor and close physical movement of goods. The said physical Form will be integrated with module in due course. Till such time, it shall continue to be in force and is required to be filled manually in addition to the online modality provided by the module.

2.3. Monthly Returns:

Regulation 11 of the Warehouse (Custody and Handling of Goods) Regulations, 2016 requires a licensee to file monthly returns. Board vide Circular No. 25/2016-Customs dated 08.06.2016, as amended by Circular No.04/2023-Customs dated 21.02.2023, has prescribed filing of two monthly returns by licensees as per Form A and Form B :

- i. Form-A: a return with information on the receipt, storage, operations and removal of goods in the month.

- ii. Form-B: a return with information on the warehoused goods for which the specified warehousing period is expiring in the month.

2.3.1. The Warehouse module shall enable uploading scanned copies (in PDF format) of these Monthly Returns on ICEGATE. Also, corresponding officers would be able to download these scanned documents for necessary action at their end. The Warehouse owner/authorized representatives should carefully file the details in their monthly return so as to enable proper reconciliation of warehoused goods.

2.3.2. The filing of these Monthly Returns using Web forms would be made available on ICEGATE in Phase 2.

2.4. Attention is invited to Section 59(3) of the Customs Act, 1962 which requires furnishing of such security, as may be prescribed, in addition to execution of the warehousing bond. Accordingly, the requirement of security has been prescribed under Circular 21/2016-Customs dated 31.05.2016, as amended. Para 5 of the said Circular mandates that the security to be furnished by the importer or owner of goods shall be furnished at the Port of Import where the bill of entry for warehousing was filed. Accordingly, it is reiterated that the proper officer at the Port of Import must ensure submission of the triple duty bond and security in terms of Section 59 of the Customs Act read with Circular 21/2016-Customs dated 31.05.2016 (as amended).

3. The users of the Warehouse Module i.e. trade and all other stakeholders are requested to go through the User Manuals issued in this regard to familiarize themselves with the necessary steps to be followed. The User Manuals serve as a guide that depicts all stages in an easy-to-understand manner aided by screenshots/pictures of the module interface. This is meant to handhold the users through the different stages of the processes.

3.1. Applicants/Authorized Signatories/Licensees facing any difficulties in the access or use of the Warehouse Module can email their grievance to icegatehelpdesk@icegate.gov.in for suitable redressal.

Signed by
Gurkaran Singh Bains
Date: 29-10-2024 21:16:34
Gurkaran Singh Bains
(Commissioner of Customs)

Attachment: Annexure-A (Enclosed)

Copy to:

- I. **Office of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram zone**
- II. **All the ADC/JC/DC/Assistant Commissioners of Cochin Custom House, Cochin-09**
- III. **EDI section, Custom House, Cochin-09**
- IV. **Cochin Customs Broker Association**